UPMP010003812007

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134

सत्र परीक्षण संख्या – 547/2007

उत्तर प्रदेश राज्य। अभियोजन......

बनाम

1– मानवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र रामविलास

2– भुवनेन्द्र पुत्र रामविलास

3– झुमका उर्फ शिवपाल पुत्र जगवीर

निवासीगण भवीचन्दपुर थाना बिछवां जनपद मैनपुरी।

अभियुक्तगण...........

अपराध संख्या– 18/2005

धारा– 147, 148, 307/149 भा.दं.सं.

एवं 07 क्रिमिनल संशोधन अधिनियम

थाना– बिछवां, **जनपद–** मैनपुरी।

अभियोजक	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री मुकुल रायजादा एड०
अभियुक्तगण	1– मानवेन्द्र उर्फ कल्लू, 2– भुवनेन्द्र 3– झुमका उर्फ शिवपाल
प्रतिनिधित्व	विद्वान अधिवक्ता श्री रामसेवक

	एड०
घटना की तिथि	07.02.2005
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की तिथि	08.02.2005
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	20.03.2005
आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	20.04.2005
सत्र सुपुर्द किये जाने की तिथि	23.08.2007
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	18.07.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	04.09.2024
धारा 313 द.प्र.सं. दर्ज किये जाने की तिथि	07.02.2026
निर्णय की तिथि	25.03.2026

(i) अभियोजन साक्षियों की सूची :-

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी.डब्लू. 1	योगेश सिंह (वादी मुकदमा)	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू. 2	हेड कानि० किशन लाल	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 3	हेड कानि० प्रबल प्रताप	औपाचरिक साक्षी

(ii) अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श :-

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रदर्श साबित करने वाले साक्षीगण का नं०**
1.	प्रदर्श क- 1 /तहरीर	पी.डब्लू. 1
2.	प्रदर्श क- 2 / चिक एफ.आई.आर	पी.डब्लू. 2
3.	प्रदर्श क- 3 / जी.डी. कायमी	पी.डब्लू. 2
4.	प्रदर्श क-4 / आरोप पत्र	पी.डब्लू. 2
5.	प्रदर्श क-5 / नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 3

निर्णय

अभियुक्तगण मानवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र रामविलास, भुवनेन्द्र पुत्र रामविलास व झुमका उर्फ शिवपाल पुत्र जगवीर निवासीगण भवीचन्दपुर थाना बिछवां जनपद मैनपुरी का विचारण मुकदमा अपराध संख्या० 18/2005 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307

भा.दं.सं. एवं धारा 7 क्रिमिनल संशोधन एक्ट थाना बिछवां जिला मैनपुरी के अपराध में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा योगेश सिंह द्वारा थाना हाजा पर एक लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** इस आशय से दी गयी कि, " श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना बिछवां मैनपुरी, आज मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में मौजूद था। समय करीब 6.30 बजे शाम गांव के रामविलास पुत्र प्रीतम सिंह अपने हाथों में 315 बोर राइफल लिये, रामविलास के दोनो लड़के मानवेन्द्र, भुवनेन्द्र अपने हाथों में बन्दूक लिये एवं झुम्मक उर्फ शिवपाल अपने हाथ में बन्दूक लिये व उनके साथ आठ–दस अन्य लोग असलाह लेकर दरवाजे पर आ गये और ललकारा कि कल शिवराम सिंह भदौरिया तो बच गया आज उसके पूरे परिवार का खात्मा कर देंगे और जान से मारने को हमारे ऊपर फायर किया। हम बाल बाल बच गये और फायर दरवाजे और दीवारों पर लगे तथा दीवारों की सीमेन्ट व ईंटे टूट कर गिर गयी। मैने व मेरे परिवार ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिये शोर मचाया और थाने को टेलीफोन करने की कोशिश की तो टेलीफोन के तार काट दिये थे और गांव मे गश्त कर रहे थाने के दो पुलिस वालों को चौकीदार रघुवीर ने खबर कर दी। उपरोक्त सभी बदमाशों ने अपने असलाहों से गांव वालों एवं पुलिस वालों पर भी जान से मारने की नियत से फायर करने शुरू कर दिये जिससे गांव में अफरा तफरी मच गयी। गांव में लोग इधर–उधर भागने लगे। भय और आंतक के कारण गांव के लोगों ने अपने दरवाजे खिड़की बन्द कर अपनी जान बचायी। लोक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गयी। बिछवां थाने के दोनों सिपाहियों ने वायरलेस सेट से सूचना दी तो थाना बिछवां के दरोगा जी मय फोर्स के मौके पर आ गये तो बदमाशों ने उनके ऊपर भी जान से मारने की नियत से फायरिंग की। इसके बाद सूचना मिलने पर आस पास के थानों– थाना भोगांव, थाना कुरवाली तथा मैनपुरी पुलिस फोर्स व पी.ए.सी. भोगांव में आ गये। बदमाश अंधाधुध फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। फोर्स ने पीछा किया परन्तु हाथ नही आये। काफी देर तक गांव में शांतिव्यवस्था बहाल हो सका। बाद में बिछवां के फोर्स के साथ प्रथम सूचना लिखाने थाने आया हूँ।"

3– वादी योगेश सिंह की उपरोक्त आशय की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना बिछवां जिला मैनपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 18/2005 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भा.दं.सं. एवं धारा 7 क्रिमिनल संशोधन एक्ट के अंतर्गत

अभियुक्तगण रामविलास, मानवेन्द्र उर्फ कल्लू, भुवनेन्द्र एवं झुमका उर्फ शिवपाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज जी.डी मुकदमा कायमी में किया गया।

4– मामले की प्रारंभिक विवेचना एस.आई राजेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा नकल तहरीर हिन्दी वादी, नकल रपट का अवलोकन कर तस्करा संलग्न सी.डी किया गया व बयान एफ.आई.आर लेखक, बयान वादी अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर तस्करा संलग्न सी.डी किया। तदोपरांत बयान समाई साक्षी प्रताप सिंह, बदन सिंह अंकित किये व फर्द घटनास्थल से बरामद खोखा का तस्करा संलग्न सी.डी किया तथा विवेचक के स्थानांतरण पर अग्रिम विवेचना अमर सिंह भदौरिया द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा नकल रोवकार हाजिरी अभियुक्त मानवेन्द्र संलग्न सी.डी किया गया व बयान अभियुक्त मानवेन्द्र, बयान कॉनि० 369 कश्मीर सिंह, कॉनि० 191 मान सिंह, अशोक कुमार, श्री चन्द्र अंकित किये गये तथा विवेचना में आये संक्लित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ कल्लू, भुवनेन्द्र व झुमका उर्फ शिवपाल के विरूद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 307 भां.दं.स. व 7 क्रिमिनल संशोधन अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया तथा अन्य अभियुक्त रामविलास के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही।

5– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जिला मैनपुरी द्वारा अभियुक्तगण मानवेन्द्र उर्फ कल्लू, भुवनेन्द्र व झुमका उर्फ शिवपाल के विरूद्ध अपराध का संज्ञान ग्रहण किया गया एवं अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये उन्हे धारा 207 दं.प्रं.स. के अंतर्गत आवश्यक नकले प्रदान की गयी तथा मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण उपरोक्त अभियुक्तगण की पत्रावली दिनांक 23.08.2007 को सत्र सुपुर्द की गयी जो सत्र परीक्षण संख्या० 547/2007 के रूप में दर्ज होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद मैनपुरी के न्यायालय को प्राप्त हुयी।

6– सत्र न्यायाधीश के आदेश द्वारा पत्रावली न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या० 01, जनपद मैनपुरी के न्यायालय को स्थानांतरण की गयी जिनके द्वारा अभियुक्तगण मानवेन्द्र उर्फ कल्लू, भुवनेन्द्र एवं झुमका उर्फ शिवपाल के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 148, 307/149 एवं धारा 7 क्रिमिनल संशोधन एक्ट में दिनांक 18.07.2024 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1, चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–2, जी.डी. कायमी को प्रदर्श क–3, आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 एवं नक्शा नजरी को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित कराया गया। साक्षियों के संबंध में तथ्य के साक्षी पी.डब्लू. 01 योगेश सिंह व अन्य दो औपचारिक साक्षी पी.डब्लू. 02 किशन लाल व पी.डब्लू. 03 प्रबल प्रताप को परीक्षित कराया गया है। अन्य साक्षियों के संबंध में विवेचक अमर सिंह भदौरिया व राजेन्द्र कुमार की मृत्यु होना बतायी गयी है जिनकी मृत्यु से संबंधित प्रपत्र संलग्न पत्रावली है। अन्य साक्षी कॉनि० कश्मीर सिंह व कॉनि० मान सिंह के पते के संबंध में कोई जानकारी न होना बताते हुये अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हे परीक्षित नहीं कराया गया है।

8– (A)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी मुकदमा योगेश सिंह को परीक्षित कराया गया है जिसने दिनांक 04.09.2024 को अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, " घटना दिनांक 07.02.2005 की है। शाम 06.30 बजे मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में मौजूद था तभी गांव के रामविलास पुत्र प्रीतम सिंह अपने हाथों में 315 बोर की राईफल लेकर के रामविलास के दोनों लड़के मानवेन्द्र व भुवनेश अपने हाथों में बन्दूक लिये थे और शिवपाल उर्फ झुमका अपने हाथों में बन्दूक लेकर के 8–10 अन्य लोग एक राय होकर के मेरे दरवाजे के पास आ गये और सभी ने कहा कि शिवराम सिंह भदौरिया तो बच गया आज उसके परिवार का खात्मा कर देंगे और मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से सभी लोंगो ने फायर किये। फायर दरवाजे व दीवारों में लगे व दीवारों से ईंट सीमेन्ट टूट कर नीचे गिरा। मैने अपने परिवार सहित छत पर चढ़कर जान बचाने के लिये शोर मचाया और थाने में टेलीफोन करने की कोशिश की। टेलीफोन के तार इन लोगों ने काट दिये। गांव थाने के चौकी पर गश्त कर रहे दो सिपाहियों को खबर कर दी तो उनके आने पर भी इन लोगो ने उन पर भी फायर किये जिससे गांव में अफरा तफरी मच गयी। गांव के लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर भय व आंतक के कारण अपनी जान बचाई। थाना बिछवां के सिपाहियों ने मेरे घर से वायरलेस से थाना बिछवां में सूचना दी। तब मौके पर पहुँचे थाना बिछवां के दरोगा जी के ऊपर तथा गांव वालों के ऊपर भी उक्त लोंगो ने फायर किये उसके बाद अन्य थानों का फोर्स थाना कुरावली भोगांव एवं पुलिस लाईन से पी.ए.सी. भी मौके पर पहुँची थी। इसके बाद उक्त लोग फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की ओर भाग गये थे। उसके बाद थाना बिछवां के दरोगा जी के साथ मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया था। तहरीर की घटना

को घर से लिखकर ले गया जो मेरे हस्तलेख मे है। जो पत्रावली पर कागज सं० 5 अ/1 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है और दिनांक 07.02.2005 अंकित है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। हाजिर अदालत भुवेन्द्र, शिवपाल उर्फ झुमका को देखकर साक्षी ने कहा कि इन्हीं लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना की थी।"

(B)– साक्षी पी०डब्लू–2 किशन लाल ने दिनांक 21.12.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, " दिनांक 08.02.2005 को मैं थाना बिछवां में हेड कॉनि० के पद पर तैनात था। उस दिन योगेश सिंह की लिखित तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या० 18/05 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भां.दं.स. व 7 सी.एल.ए एक्ट बनाम रामविलास, मानवेन्द्र कायम हुआ था जिसकी चिक एफ.आई.आर मेरे द्वारा तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित की गयी थी जो पत्रावली में कागज संख्या० 4 अ/1 लगायत 4 अ/2 के रूप में मौजूद है जिसकी फोटोप्रति दौरान साक्ष्य मेरे समक्ष मौजूद है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। जिसका खुलासा जी.डी संख्या० 02 समय 2.45 AM दिनांकित 08.02.2005 पर मेरे द्वारा किया गया था जो पत्रावली पर कागज संख्या० 7 अ/2 के रूप में मौजूद है जिसकी फोटो प्रति दौरान साक्ष्य मेरे समक्ष मौजूद है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं मौखिक रूप से प्रमाणित कर रहा हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। एस.आई अमर सिंह भदौरिया मेरे साथ थाना बिछवां में तैनात रहे है। मैने उनको लिखते–पढ़ते तथा हस्ताक्षर करते देखा है जिससे मैं भलि भांति परिचित हूँ। एस.आई अमर सिंह भदौरिया की मृत्यु वर्ष 2021 में हो चुकी है। पत्रावली में मौजूद कागज संख्या० 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 जो आरोप पत्र है जिसकी फोटो प्रति दौरान साक्ष्य मेरे समक्ष मौजूद है जो एस.आई अमर सिंह भदौरिया के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिससे में भलिभांति परिचित हूँ। उक्त पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। एस.आई अमर सिंह भदौरिया की मृत्यु आख्या पत्रावली में कागज संख्या० 109 अ/1 लगायत 109 अ/3 पत्रावली में संलग्न है।

(C)– साक्षी पी०डब्लू–3 कानि० प्रबल प्रताप ने दिनांक 08.10.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "मैं वर्तमान में थाना बिछवां में कानि० (कान्सटेबिल) के पद पर तैनात हूँ एवं थाना बिछवां के पैरोकार के रूप में तैनात हूँ। मैं वर्ष 1998 से लेकर मई 2015 तक जनपद मथुरा में विभिन्न थानों में तैनात रहा हूँ। वर्ष 2003–2004 के मध्य थाना हाईवे पर तैनाती के दौरान एस.आई राजेन्द्र कुमार थाना हाईवे पर ही

उपनिरीक्षक के पद पर ही तैनात था। मैने दौरान तैनाती उनको लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है तथा मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित हूँ। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 6 अ जो कि अपराध सं० 18/05 से संबंधित अपराध का नक्शा नजरी है उक्त नक्शा नजरी एस.आई राजेन्द्र कुमार के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं परिचित हूँ। उक्त प्रपत्र पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। मेरी व एस.आई राजेन्द्र सिंह की तैनाती थाना हाईवे पर एक साथ तैनाती लगभग एक से ढेड़ वर्ष रही है।

9– बाद समाप्ति साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं.प्रं.स के अंतर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप को गलत बताया। साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी योगेश सिंह के बयानों के संबंध में कथन किया है कि विवेचक के द्वारा गलत विवेचना की गयी है। पी.डब्लू 02 किशन पाल के बयान के संबंध में अभियुक्तगण ने कहा कि आरोप पत्र गलत विवेचना करते हुए दाखिल किया गया एवं गलत बयान दिया है। साक्षी पी.डब्लू. 03 कानि० प्रबल प्रताप के बयान के संबंध में कहा कि गलत बयान किया है। अभियुक्त मानवेन्द्र एवं शिवपाल उर्फ झुमका ने कथन किया है कि वे धोवी जाति के है तथा वादी पक्ष ठाकुर जाति के है। वादी पक्ष उन लोगों को दबाकर रखना चाहते है इस कारण झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया है तथा अभियुक्तगण ने अपने आप को निर्दोष बताते हुये अपराध कारित किये जाने से इंकार किया है व सफाई साक्ष्य न देना कहा है।

10– मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11– अभियोजन पक्ष की तरफ से दौरान बहस यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादी मुकदमा योगेश सिंह व उनके परिजनों को उपहति पहुंचाने के लिये विधि विरूद्ध जमाव कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुये असलहों व बन्दूकों से सुसज्नित होकर बल्वा कारित किया व वादी मुकदमा व उनके परिवार वालों को जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किया जिससे मौके पर अफरा–तफरी का माहौल बन गया। उपरोक्त घटना की तहरीर वादी मुकदमा पी.डब्लू. 01 योगेश सिंह द्वारा दी गयी है जिसके आधार पर थाना पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पी.डब्लू. 02 व पी.डब्लू. 03 प्रस्तुत प्रकरण के औपचारिक साक्षी है जिन्होने समस्त पुलिस प्रपत्रों को साबित किया है। अभियोजन कथानक अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षियों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। अत:

अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

12– बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन के तर्कों का विरोध करते हुये कहा गया कि अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। वादी मुकदमा ने पुलिस पार्टी से साज कर अभियुक्तगण को फंसाया है। प्रकरण में धारा 147, 148, 149 भां.दं.स. से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा असलहों से वादी मुकदमा की छत व दीवारों में फायर करने का उल्लेख किया गया है किन्तु मौके पर विवेचक द्वारा कोई भी दीवारों व छत से गिरे सीमेन्ट आदि को कब्जे में नहीं लिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा मौके पर विवेचक द्वारा क्षतिग्रस्त दीवार व ईंटों का फोटों लेना बताया गया है किन्तु उक्त के संबंध में कोई भी छायाचित्र पत्रावली पर दाखिल नहीं है जिससे स्पष्ट है कि घटना काल्पनिक व मनगण्त है। मौके पर वादी द्वारा स्वंय के साथ अपने परिवारीजन का भी घटना के समय घर पर होना बताया है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा वादी मुकदमा के अतिरिक्त कोई भी परिवार का चश्मदीद साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा पी.ए.सी आदि पर फायर करना बताया है किन्तु वह दूसरी तरफ अभियुक्तगण का घटनास्थल पर मात्र 20 मिनट रूकना बताता है तथा पुलिस पार्टी व पी.ए.सी का समय रात्रि 8 बजे घटनास्थल पर पहुंचना बताता है। घटना के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण व पुलिस पार्टी की मौके पर उपस्थिति के संबंध में सारवान विरोधाभास है और न ही पुलिस पार्टी की रवानगी व वापसी के संबंध में कोई भी जी.डी अंकन पत्रावली पर उपलब्ध है। वादी मुकदमा द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा मौके पर 20–25 फायर करना बताया गया है किन्तु वादी मुकदमा मौके पर 10–12 खोखा कारतूस बरामद होना बताता है किन्तु पत्रावली पर संलग्न फर्द बरामदगी खोखा कारतूस को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं कराया गया है। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी में भी मुल्जिमान द्वारा किस दिशा से फायर किया गया, का उल्लेख दर्शित नहीं किया गया है। घटना शाम के 6.30 बजे की बतायी गयी है किन्तु एफ.आई.आर अत्यंत बिलंव से सोच समझकर घटना के अगले दिन 2.45 AM पर एन्टी टाईम दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है, उनके द्वारा वादी के भाई के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एक मात्र तथ्य के साक्षी के बयान में सारवान विरोधाभास है व घटना साबित नहीं है। अत: अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का परिशीलन किया गया।

14– अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

15– *प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा योगेश सिंह व उनके परिजनों को उपहति पहुंचाने के लिये विधि विरूद्ध जमाव कर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुये असलहों व बन्दूकों से सुसज्जित होकर बल्वा कारित किया व वादी मुकदमा व उनके परिवार वालों को जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किया।*

16– अभियोन कथानक को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू. 01 जो वादी मुकदमा है और जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बताया गया है, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने अपने बयान में दिनांक 07.02.2005 को शाम 6.30 बजे की घटना बताते हुये आरोपित अभियुक्तगण के अलावा 8–10 अन्य लोगों का बन्दूक व रायफल से लैंस होकर दरवाजे पर आना और जान से मारने की नियत से अँधाधुध फायर करना बताया है और अभियुक्तगण के आने से मौके पर अफरा–तफरी मचना और चौकीदार की सूचना पर गश्त कर रही पुलिस तथा कई थाने की फोर्स व पी.ए.सी का आना बताते हुये अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व पी.ए.सी पर भी फायंरिग किया जाना बताया है। दौरान जिरह इस साक्षी द्वारा किये गये बयान से यह स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि अभियुक्त झुमका उर्फ शिवपाल की वादी मुकदमा से पुरानी जमीन की रंजिश है और पूर्व में भी इनके मध्य विवाद हुआ है जिससे वादी मुकदमा के भाई की हत्या भी हुयी है। इस साक्षी ने दौरान जिरह भी पुलिस वालों पर फायर करना बताया गया है और यह भी कथन किया है कि फायर करते समय वादी मुकदमा व पुलिस वाले वादी मुकदमा की छत पर चढ़ गये और छत पर पुलिस वालों ने भी फायर किये। घटना के 15 मिनट के अंदर पुलिस का आना और अभियुक्तगण का तुरंत फायर करते हुये भाग जाना भी इस साक्षी ने कहा है। घटनास्थल पर 20–25 फायर करना बताया है और घटनास्थल से 10–12 खोखा पुलिस वालों द्वारा बरामद करना भी बताया है। जिस समय फायर करना कहा गया है, उस समय इस साक्षी ने अपने परिवार में अपनी माँ, बहन व अपने नानी का भी घर पर मौजूद होना बताया है किन्तु उपरोक्त में से किसी को भी अभियोजन पक्ष की तरफ से न तो साक्षी बनाया गया और न ही किसी को परीक्षित कराया

गया। जहां तक इस साक्षी द्वारा फायर के संबंध में किये गये कथन व घटनास्थल से प्राप्त खोखा के संबंध में किये गये कथन का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अंधाधुध फायर करना बताया है और आरोपीगण के साथ अन्य 8–10 लोगों का भी मौके पर होना और फायर करना बताया है किन्तु किसी भी व्यक्ति को कोई चोट कारित नहीं हुयी है। इस साक्षी ने पुलिस वालों के ऊपर भी फायर करना कहा है किन्तु ऐसे किसी भी पुलिस साक्षी को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही किसी पुलिस की तरफ से ऐसा कोई कथन किया गया है। जहां तक मौके पर पड़े हुये खोखो का प्रश्न है, इस साक्षी ने उन खोखो को अपने सामने पुलिस द्वारा लिया जाना कहा है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी में चार अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 05 अदद खोखा कारतूस 12 बोर तथा 03 अदद खोखा कारतूस 302 बोर सरकारी अंकित है किन्तु उक्त फर्द बरामदगी किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा साबित नहीं करायी गयी है। साथ ही साथ उक्त खोखा कारतूस किस बन्दूक से चलाये गये है न तो उन्हे कब्जे में लिया गया है और न ही ऐसा कोई मिलान ही कराया गया है जिससे यह पता चले कि उक्त खोखा कारतूस जिसे बरामद होना कहा गया है, वह वास्तव में अभियुक्तगण/पुलिस पार्टी के पास कथित बन्दूक से चलाये गये है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने मकान की दीवारों पर तथा छत के छज्जे पर गोली का लगना और वहां पर गोली के निशान होना भी बताया गया है जबकि सम्पूर्ण केस डायरी में ऐसा कोई विवरण अथवा कोई छायाचित्र उपलब्ध नहीं है। आगे इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मेरे भाई व मेरे पिता मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती थे। जब इसके भाई व पिता मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती थे तो उनके साथ परिवार का कौन सदस्य था, यह स्पष्ट नहीं है। यह स्वाभाविक है कि यदि किसी परिवार के दो दो सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती हो तो स्वाभाविक है उनके भाई, पुत्र, पत्नी में से कोई न कोई देखभाल करने के लिये जिला अस्पताल में अवश्य होगे किन्तु इस साक्षी ने सभी को घटना के समय घर पर होना बताया है। पुलिस पर किये गये कथित फायर के संबंध में पुलिस वालों के द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी है। उपरोक्त ऐसे तथ्य है जो वादी मुकदमा के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को असत्य बनाते है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा उपरोक्त सभी तथ्य एक सोची समझी निति के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है और बढ़ा–चढ़ाकर न्यायालय में बयान दिया है। तथ्य का अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं है।

17– अभियोजन की तरफ से पी.डब्लू. 02 के रूप में मामले के चिक एफ.आई.आर व जी.डी लेखक किशनलाल को परीक्षित कराया गया है जिसके द्वारा चिक

एफ.आई.आर (प्रदर्श क–2) व जी.डी (प्रदर्श क–3) को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गयी है। इस साक्षी द्वारा विवेचक मृतक अमर सिंह को अपने साथ तैनात होना बताते हुये उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा उनके द्वारा तैयार किया गया आरोप पत्र को द्वितीयक साक्षी के रूप में प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जो पुलिस प्रपत्र को साबित किया है।

18– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एक अन्य औपचारिक साक्षी पी.डब्लू. 03 कॉनि० प्रबल प्रताप, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने नक्शा नजरी तैयार करने वाले विवेचक एस.आई. राजेन्द्र कुमार की तैनाती अपने साथ विभिन्न जिलों में होना बताते हुये उक्त साक्षी के हस्तलेख व हस्ताक्षर से भलिभांति परिचित होना बताते हुये उक्त साक्षी द्वारा तैयार नक्शा नजरी को द्वितीयक साक्षी के रूप में प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से भी कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है। यह साक्षी भी औपचारिक साक्षी है, जो पुलिस प्रपत्र को साबित किया है।

19– इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है। अत: अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. सत्र परीक्षण सं. 547/2007 मुकदमा अपराध संख्या० 18/2005 थाना बिछवां जिला मैनपुरी में अभियुक्तगण **1–** मानवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र रामविलास **2–** भुवनेन्द्र पुत्र रामविलास **3–** झुमका उर्फ शिवपाल पुत्र जगवीर निवासीगण भवीचन्दपुर थाना बिछवां जनपद मैनपुरी को धारा 147, 148, 307/149 भां.दं.स. एवं धारा 07 क्रिमिनल संशोधन अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण मानवेन्द्र उर्फ कल्लू व भुवनेन्द्र के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्त झुमका उर्फ शिवपाल जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध है, यदि अन्य किसी मामलें में निरूद्ध न हो तो उसे अबिंलव रिहा किया जाये।

4. बरामदशुदा घटना स्थल से लिये गये विभिन्न प्रकार के खोखा कारतूसों को नियमानुसार बाद मियाद अवधि अपील विनष्ट किया जाए।

5. अभियुक्तगण मानवेन्द्र उर्फ कल्लू व भुवनेन्द्र द्वारा –437 ए दं.प्र.सं. के अनुपालन में दाखिल की गयी जमानत छः माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनाँकः– 25.03.2026

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँकः– 25.03.2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.28 10:51:52 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134